भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5475

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का आकलन</u>

5475. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ-साथ स्थित सरकारी और सार्वजनिक भूमि खंडों पर नवीकरणीय ऊर्जा की संभाव्यता का आकलन और मानचित्रण करने के लिए कोई पहल की है अथवा ऐसी सहायता दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सौर, पवन या संकर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए उपलब्ध मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) अथवा निकटवर्ती भूमि के संयुक्त उपयोग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास कोई समन्वय तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भावी राजमार्ग विकास परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को एकीकृत करने के लिए कोई राष्ट्रीय डांचा या नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग (MoRTH) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पहले चरण में, दिल्ली-देहरादून राजमार्ग (709 बी) के दिल्ली भाग पर सौर विद्युत परियोजना का विकास करना विचाराधीन है। परियोजना के लिए, परियोजना को निष्पादित करने के लिए स्थानीय डिस्कॉम अर्थात बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और सेकी के साथ समन्वय किया जा रहा है ।
